<u>प्रकीर्ण वाद संख्या 06 वर्ष 2020 महेन्द्र सिंह प्रति विजय कुमार आदि, संबंधित</u>
<u>एम.ए.सी.पी नं. 435 वर्ष 2017</u>

<u>17/4/2020</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया। प्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग पर उपस्थित है। तलबीदा मूल पत्रावली 435 वर्ष 2017 संलग्न है। इस प्रकीर्ण वाद में मूल पत्रावली में पारित निर्णय /अवार्ड की सत्यापित प्रति अवस्थित है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 14/12/2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उभय पक्ष के मध्य समझौते के आधार पर प्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह के पक्ष में ₹ 2,00,000 की प्रतिकर धनराशि एम.ए.सी.टी./अपर जिला जज न्यायालय कक्ष संख्या 6 झांसी द्वारा अवार्ड की गई थी जिसका भुगतान मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा चेक संख्या 50072352 (एक्सिस बैंक) के माध्यम से कर दिया गया था। यह धनराशि इस ट्रिब्यूनल के सिंडीकेट बैंक के खाते में जमा है। इसी धनराशि को प्राप्त करने के लिए प्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह द्वारा यह प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत किया गया है। श्री महेन्द्र सिंह का शपथ पत्र पत्रावली पर अवस्थित है जिसके अनुसार अवार्ड के विरुद्ध कोई स्टे नही है और न ही अपील लंबित है। श्री महेन्द्र सिंह व उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि श्री महेन्द्र सिंह स्वयं को मोटर वाहन दुर्घटना में आई चोटों पर यह अवार्ड हुआ था। श्री महेन्द्र सिंह ने अपना खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में होना बताया है तथा खाता संख्या 3295076469 बताते हुए बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति पत्रावली मे दाखिल की है तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी साझा की है। अवार्ड के अनुसार अवार्ड की संपूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के सावधि जमा का कोई निर्देश नहीं है।

उक्त परिस्थितियों के आलोक में मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि श्री महेन्द्र सिंह को अवार्ड की गई धनराशि ₹ 2,00,000 मय अर्जित ब्याज श्री महेन्द्र सिंह के खाते में आरटीजीएस/नेफ्ट के जरिए ट्रांसफर कर दी जानी चाहिए।

<u>आदेश</u>

सिंडीकेट बैंक झोकन बाग झांसी को आदेशित किया जाता है कि श्री महेन्द्र सिंह को **<u>एम.ए.सी.पी नं. 435 वर्ष 2017</u>** में अवार्ड की गई धनराशि ₹ 2,00,000 **(दो लाख)** मय अर्जित ब्याज श्री महेन्द्र सिंह के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाता संख्या 3295076469 में आरटीजीएस/नेफ्ट से ट्रांसफर करके उसका प्रमाण इस ट्रिब्यूनल में दाखिल करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण
झांसी